जेठाराम बनाम उम्मेदराम
राजस्व वाद 50/2016

प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का हक व अधिकार उनके जन्म से हो जाना सिद्ध है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 से 7 इस वाद में प्रश्नगत भूमि मे कोई हक हिस्सा नही रख रही है। इसे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 7 अपने हक का त्याग कर रही है। हक त्याग पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी देय है। जो वादीगण से लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के हक परित्याग की एवज में यदि वादीगण पंजीयन नियमो के अनुसार स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की राशि का चालान राजकोष में जमा कराने की शर्त पर माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप राजीनामा निम्नानुसार भूमि का बंटवाडा किया जाता है।

यह है कि, वाद के अनुच्छेद संख्या 2 के उप अनुच्छेद क,ख,ग अनुसार ग्राम मालगांव के खेताय खसरा नम्बर 430, 841/272, 843/201 का बंटवाडा किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वाद माफिक राजीनामा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है। मौजा मालगांव के खसरा नम्बर 430 रकबा 18.14 बीघा मे से 9.07 बीघा पूर्वी तरफ का भाग व खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा मे से 11.10 बीघा पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 1 जेठाराम के बंट में एवं खसरा नम्बर 430 रकबा 18.14 बीघा मे से 9.07 बीघा पश्चिमी तरफ का भाग व खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा मे से 11.10 बीघा पूर्वी तरफ का भाग वादी संख्या 2 मलाराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त मे तथा खसरा नम्बर 843/201 रकबा 12 बीघा मौजा मालगांव प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किये जाते है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पंजीयन शुल्क व राशि का चालान पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश आज दिनांक ......5/6/18...................को मेरे द्वारा मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

डिगरी बमुकददमे इब्तदाई

.(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)** नागौर

व इजलास परसाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद 50/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जेठाराम पुत्र उम्मेदाराम 2. मलाराम पुत्र उम्मेदाराम जातियान कुम्हार निवासीगण मालगांव तहसील व जिला नागौर।		1. उम्मेदराम पुत्र गिरधारीराम जाति कुम्हार निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

राजस्व वाद संख्या 50/2016 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्तें इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी --------मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदई ब मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि ग्राम मालगांव के खेताय खसरा नम्बर 430, 841/272, 843/201 का बंटवाडा किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वाद माफिक राजीनामा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है। मौजा मालगांव के खसरा नम्बर 430 रकबा 18.14 बीघा मे से 9.07 बीघा पूर्वी तरफ का भाग व खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा मे से 11.10 बीघा पश्चिमी तरफ का वादी संख्या 1 जेठाराम के बंट में एवं खसरा नम्बर 430 रकबा 18.14 बीघा मे से 9.07 बीघा पश्चिमी तरफ का भाग व खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा मे से 11.10 बीघा पूर्वी तरफ का भाग वादी संख्या 2 मलाराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त मे तथा खसरा नम्बर 843/201 रकबा 12 बीघा मौजा मालगांव प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदराम के तन्हा बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में घोषित किये जाते है।

बीज -------मुबलिग ------बाबत------- खर्चा इस मुकदने के मय सुद व शरह ------फीसदी सालाना आज की तारीक ब तारीक वसुलवाबी तक------को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख-------------को जारी की गई।

5/6/18

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	–	–	स्टाम्प वकालात नामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महनताना वकील पर	–	–
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–		–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो नही तो तय करना चाहिए।

5/6/18

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद 50/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जेठाराम पुत्र उम्मेदाराम 2. मलाराम पुत्र उम्मेदाराम जातियान कुम्हार निवासीगण मालगांव तहसील व जिला नागौर।		1. उम्मेदराम पुत्र गिरधारीराम जाति कुम्हार निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवाडा खेताय आदि

आदेश

दिनांक :5/6/18

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 उम्मेदराम पिता–पुत्र है। हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तेनी बढेर की भूमि ग्राम मालगांव तहसील नागौर में हाल खेत खसरा नम्बर 430 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा एवं खसरा नम्बर 843/201 रकबा 12 बीघा स्थित है।

यह है कि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 हमारे पिता उम्मेदराम ने हमारी सम्पूर्ण पुश्तेनी बढेर की संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि का आपसी मोखिक बंटवाडा मौके पर राजीखुशी कर लिया है व माफिक बंटवाडा अलग अलग खेताय पर काबिज हो गये है– बंटवाडा निम्न प्रकार से है :–

क– कि, वादी संख्या 1 जेठाराम के बंट एवं कब्जा काश्त खातेदारी में ग्राम मालगांव के खेत खसरा नम्बर 430 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा मे से 9 बीघा 7 बिस्वा पूर्वी तरफ का भाग व खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा मे से 11 बीघा 10 बिस्वा पश्चिमी तरफ का भाग रखा गया है।

ख– कि, वादी संख्या 2 मलाराम के बंट एवं कब्जा काश्त खातेदारी में ग्राम मालगांव के खेत खसरा नम्बर 430 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा मे से 9 बीघा 7 बिस्वा पश्चिमी तरफ का भाग व खसरा नम्बर 841/272 रकबा 23 बीघा मे से 11 बीघा 10 बिस्वा पूर्वी तरफ का भाग रखा गया है।

ग– कि, वादीगण संख्या 1 उम्मेदराम के बंट एवं कब्जा काश्त खातेदारी में ग्राम मालगांव का खेत खातेदारी में ग्राम मालगांव का खेत खसरा नम्बर 843/201 रकबा 12 बीघा रखा गया है।

अतः इस्तदुआ वादीगण है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से जारी की जावे –

अ– कि, वाद के अनुच्छेद संख्या 2 के उप अनुच्छेद क,ख,ग अनुसार ग्राम मालगांव के खेताय खसरा नम्बर 430, 841/272, 843/201 का बंटवाडा किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे।

ब– कि बंटवाडा अनुसार समस्त राजस्व रेकर्ड व अधिकार अभिलेखो में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

स– अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ वादीगण को दिलाया जावे।

न्याय आपके द्वार शिविर चूंटिसरा ने वादी संख्या 2 मलाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर इस प्रकरण में उसकी बहने घेवरी, सायरी, भवराई, कमला देवी व पप्पूदेवी को आवश्यक पक्षकार बताते हुए अन्य पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संबंध में मजमे आम मे दरियाफ्त करने पर उपस्थित मौतबरान ने इसे सही होना बताया है। परिणामतः वादी संख्या 2 का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और वादी को संशोधित शीर्षक पेश करने हेतु निर्देशित किया है। जिस पर वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

पक्षकार के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के रूप में सयोजित वादी की बहने भी आज शिविर में उपस्थित है इन्होने अपना इकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वादी एवं प्रतिवादी आपस में राजामंद होकर लिखित राजीनामा पेश किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान को सुना। वाद में प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी को भूमि उनके पूर्वजो से विरासत में मिली है। इसलिए वादी एवं

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर